मुकदमा .... बनाम ....

.... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश दि० 19.7-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं जवाब दावा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 19/7/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 175/2022

प्रकरण दायर दिनांक 15.06.2022

प्रकरण निर्णय दिनांक 19.07.2024

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी खातोलाई की ढाणी बाढ बगीची तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. रामरतन पुत्र स्व. रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी बारा का बास संकट, तहसील राजगढ जिला अलवर
2. तहसीलदार बसवा, जरिये लैण्ड होल्डर, बसवा।

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा इस आशय से पेश किया कि ग्राम बाढ बगीची तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि आराजी खेवट खतौनी संख्या नई 62 पुरानी 111 के खसरा नं. 69 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नं. 71/882 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नं. 74 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नं. 75 रकबा 0.52 हैक्टे. खसरा नं. 76 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.90 हैक्टे. कुल किता 06 कुल रकबा 2.21 हैक्टे. स्थित है। जो वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। जिसके पास में खसरा नं. 72 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 73 रकबा 0.69 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 01 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि मुतदाविया से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। फिर भी आये दिन वादी की कब्जेकाश्त की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से व वादी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 71/582 व खसरा नं. 74 के पास जो प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 72 व खसरा नं. 73 स्थित है, पर प्रतिवादीगण आये दिन 50 वर्षो से बनी हुई डोल को अवैध रूप से तोड कर वादी के कब्जे–काश्त की भूमि में अवैध रूप से नवनिर्माण कर अपना अवैध कब्जा करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक है कि वो खसरा नं. 71/582 व 74 व खसरा नं. 72 व 73 का सीमाज्ञान, पत्थरगढी नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि के बीच में स्थित मिट्टी की डोल को तोडकर अवैध नव निर्माण कर अपना अवैध कब्जा करने से बाज व मुमतन्हा रहे। दिनांक 08.06.2022 को प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी की कब्जेकाश्त की भूमि मुतदाविया खसरा नं. 71/582 व खसरा नं. 74 पर स्थित मिट्टी की डोल को अवैध रूप से तोडकर नव निर्माण कर अपना अवैध कब्जा करने लगे। जब वादी ने मना किया तो वादी से कहा कि हम हमारी खातेदारी भूमि खसरा नं. 72 व 73 में उक्त भूमि पर स्थित मिट्टी को डोल को तोडकर तुम्हारी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि पर अवैध नव निर्माण कर अवैध कब्जा कर तुमको उक्त भूमि से बेदखल कर अपना जबरिया कब्जा करके रहेगे। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमा दरमियान फरीकेन चल पडेंगे जो बाय से बर्बादी होगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पावंद किया जावे कि भूमि ग्राम बाढ बगीची तहसील बसवा

४५६

Scanned with OKEN Scanner

जिला दौसा में वादी के कब्जे–काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नं. 71/582 व खसरा नं. 74 जिसके पास में प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 72 व खसरा नं. 73 के बीच में स्थित मिट्टी की डोल को तोडकर कर अवैध नव निर्माण करने से व वादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करने से जब तक उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं हो जाती तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने व वादी को बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से एड. श्री नवीन गुर्जर ने अन्डरटेकिंग दी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। उभयपक्ष वकील द्वारा साक्ष्य नहीं कराना चाहा। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकील ने बहस में वाद पत्र एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र एवं जवाब दावा व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–79 ग्राम बाढबगीची खाता सं. नया 62 व पुराना 111 के वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व जमाबन्दी संवत 2068–71 ग्राम बाढबगीची खाता सं. नया 90 व पुराना 25 के खसरा नं. 72 व 73 प्रतिवादी के खाते में दर्ज रिकार्ड है। बरूये राजस्व रिकार्ड ग्राम बाढ बगीची में खसरा नं. 71/582 रकबा 0.16 हैक्टे. एवं खसरा नं. 74 रकबा 0.17 हैक्टे., वादी की खातेदारी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा–188 के तहत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी अन्य को मजाहमत करने से जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सकता है। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन से वादी वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि भूमि वाके रामा बाढ बगीची तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा स्थित वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नं. 71/582 एवं खसरा नं. 74 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 02 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की उक्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 19.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

19.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई